

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29/05/25

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2023/.....169.....:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" की अधिसूचना क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2022/145 दिनांक 30.06.2023 के कण्डिका (ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09.06.2020 के कण्डिका (घ) योजना की पात्रता, कण्डिका (ज) भुगतान की प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:-

योजना का नाम :- "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना"

(ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि :-

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वर्तमान में देय हितलाभ निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1	सामान्य मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	5 लाख रुपये
3	कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर	2 लाख 50 हजार रुपये

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित विवरण एवं अनुदान राशि को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता है -

स.क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1	सामान्य मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	5 लाख रुपये
3	कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर	2 लाख 50 हजार रुपये
4	अपंजीकृत श्रमिक के कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	1 लाख रुपये

निरंतर.....2

(घ) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक 4. में संशोधित किया जाता है :-

बिन्दु क्र० 4. "योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु पर नहीं।"

के स्थान पर -

"योजना के तहत केवल निर्माण श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु पर नहीं।"

संशोधित किया जाता है।

(ज) भुगतान की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 6. एवं बिन्दु क्रमांक 7. को सम्मिलित किया जाता है :-

बिन्दु क्र० 6. "अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन कर अधिसूचना अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

बिन्दु क्र० 7. "अपंजीकृत निर्माण श्रमिक के मृत्यु के आवेदनों में संबंधित जॉचकर्ता द्वारा आवेदन निराकरण के समय जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

*Leul.*

(गिरीश रामटेके)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29/05/25

पृष्ठां० क्रमांक / 41 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 1402  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
7. कल्याण आयुक्त, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ०ग०)।

निरंतर.....3

8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त, जिला कलेक्टर, .....(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय .....(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय .....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
17. गार्ड फाईल।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

*Seny.*  
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक.....30/06/2023

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2023/.....145.....:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19.04.2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09.06.2020 के कण्डिका (ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि, कण्डिका (घ) योजना की पात्रता एवं कण्डिका (च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:-

योजना का नाम :- "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना"

(ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि :-

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वर्तमान में देय हितलाभ निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1	मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2	स्थायी दिव्यांगता पर	50 हजार रुपये

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित विवरण एवं अनुदान राशि को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता है -

स.क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1	सामान्य मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	5 लाख रुपये
3	कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर	2 लाख 50 हजार रुपये

निरंतर.....2

(घ) योजना की पात्रता में बिन्दु क्र० (7) को अंतः स्थापित करता है :-

(7) कार्य स्थल से तात्पर्य हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुये दुर्घटना को ही योजना के तहत दुर्घटना माना जावेगा।

(च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक (6) एवं (7) को अंतः स्थापित करता है :-


(6) कार्य स्थल में दुर्घटना से मृत्यु होने पर एफ०आई०आर० की प्रति, पीएम रिपोर्ट/पंचनामा एवं मृतक श्रमिक के नियोजक द्वारा सत्यापित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति भी लिया जाना अनिवार्य होगा।

(7) कार्य स्थल में दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर एफ०आई०आर० की प्रति, नियोजक द्वारा सत्यापित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, एवं डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लिया जाना अनिवार्य होगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उक्त योजना में संशोधन दिनांक 01.05.2023 से प्रभावशील होगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

  
(सविता मिश्रा)  
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां० क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2023/1340-58 नवा रायपुर, दिनांक 30.6.23  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ०ग० शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ०ग० शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।

7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
11. समस्त, जिला कलेक्टर, .....(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय .....(छ0ग0)।
13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय .....(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
18. गार्ड फाईल।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/12/2022

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2022/134 :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09.06.2020 के कण्डिका (घ) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (2) में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करती है:-

योजना का नाम :- "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना"

(घ) योजना की पात्रता :-

- (2) निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए को अतिक्रमित करते हुए,

"निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत न्यूनतम 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है," (अर्थात् हिताधिकारी के मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में मृत्यु/दिव्यांगता तिथि के 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है)

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां० क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2022/5516-5531 अटल नगर, दिनांक 21/12/22  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।

निरंतरित.....2

2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर, .....(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय .....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय .....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
17. गार्ड फाईल।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 09/12/2022

क्रमांक एफ 129 /2022/ :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09.06.2020 के कण्डिका (घ) योजना की पात्रता में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

योजना का नाम :- "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना"

(घ) योजना की पात्रता :-

(6) ऐसे हिताधिकारी जो अधिसूचना अंतर्गत निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हो, को मृत्यु की दशा में योजनांतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु पंजीयन नवीनीकरण में 90 दिवस की छूट प्रदान की जावेगी को सम्मिलित करता है।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/12/22

पृष्ठां० क्रमांक एफ /2022/ 5377  
प्रतिलिपि :- 5393

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-03, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।

5. सचलव, छ0ग0 भवन एवं अनू सननरुण कडरुकर कलूण डंडल नवा राडडुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. डुरडारी अधरुकर, छ0ग0 असंगठरत कडरुकर राजू सडडरुजक सुरकुषा डंडल खणुड-03, वुदरुतुड तल, इनुदुरावतुड भवन, नवा राडडुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कलूण आडुकुत, छ0ग0 शुरड कलूण डंडल, डुरवुण भवन 31/520, नू शरुतर नगर, राडडुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनरलय, कडरुकरारी राजू डुडडरु सेवरुडें इनुदुरावतुड भवन, नवा राडडुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनरलय, औदुगुडरुक सुवरुथु एवं सुरकुषा, इनुदुरावतुड भवन, नवा राडडुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. सडसुत ऑरलर कलेकुतर, .....(छ0ग0)।
11. सडसुत सडरुडक शुरडरुडुकुत/शुरड डुदरुधरुकरारी/सडरुडक शुरड डुदरुधरुकरारी करुडरुडरुड .....(छ0ग0)।
12. सडसुत उड संचालक/सडरुडक संचालक, औदुगुडरुक सुवरुथु एवं सुरकुषा करुडरुडरुड .....(छ0ग0)।
13. संचालक, ऑनसंडरुक संचालनरलय, इनुदुरावतुड भवन, नवा राडडुर, अटल नगर कुर ओर उडरुडक अधरुसूकनर ऑन सडडरुनू के सूकनरुथु सडडरुडरु डुतुरुडें डु नरुःशुलुक डुरकरुशन हेतु।
14. उड संचालक, शरुसकुरुड कुषुतुरुड डुदुरणरलय, खुरैररुगदु रुरुडु, ररुऑनरुदगरुड (छ0ग0) कुर ओर आगरुडुर ररुड डुडरुडरुड कुर ओर डुरकरुशरुत कुर ओर डुरेडरुडरुड करु लेखु हे कु, कुरडडरुड डुरकरुशरुत ररुड डुडरुडरुड कुर 50 डुरतुरुडरुड वरुडरुग कुरु उडलडुध करुडरुड कुर कषुट करुडें। कुर ओर सूकनरुथु एवं आवशुडक करुडरुडरुडरुड हेतु डुरेडरुडरुड।
15. लेखरु शरुखरु, छतुतुडरुसगदु भवन एवं अनू सननरुण कडरुकर कलूण डंडल नवा राडडुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शरुखरु, छतुतुडरुसगदु भवन एवं अनू सननरुण कडरुकर कलूण डंडल नवा राडडुर, अटल नगर (छ0ग0) कुर ओर ततुकरुड वुड सरुडरुडरुड डुडरुड अपलुरुड करुडरुड डुररुडरुड।
17. गरुडरुड डरुडरुड।

कुर ओर सूकनरुथु एवं आवशुडक करुडरुडरुडरुड हेतु संडुरेडरुडरुड।

सचलव

छतुतुडरुसगदु भवन एवं अनू सननरुण कडरुकर कलूण डंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन  
श्रम विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर, अटल नगर,

651

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/06/2020

क्रमांक एफ 10-4/2010/16 :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना" अंतर्गत पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन योजना बनाती है:-

(क) योजना का नाम :-

योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" होगा।

(ख) योजना का प्रावधान :-

योजना के अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

(ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि :-

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधोलिखित तालिकानुसार सहायता राशि देय होगी:-

स.क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1	मृत्यु पर	1 लाख रूपये
2	स्थायी दिव्यांगता पर	50 हजार रूपये

(घ) योजना की पात्रता :-

- 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए।
- आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में अथवा बलवा से हुई मृत्यु की स्थिति में सहायता राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

4. योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु होने पर नहीं।
5. मंडल द्वारा संचालित सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना के अतर्गत लाभान्वित हितग्राही इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए पृथक से योजना संचालित है।

**(च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे।
2. आवेदक किसी भी च्वाईस सेन्टर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. योजनांतर्गत आवेदन मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता होने के 90 दिवस के भीतर ही स्वीकार किया जावेगा।
4. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं स्थायी दिव्यांगता होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

**(छ) स्वीकृति का अधिकार :-**

संबंधित जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जावेगा।

**(ज) भुगतान की प्रक्रिया :-**

1. संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा सहायता राशि हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी के नामित व्यक्ति को प्रदान की जावेगी।
2. नामित व्यक्ति के नहीं रहने पर वैध उत्तराधिकारी को राशि प्रदान की जावेगी।
3. वैध उत्तराधिकारी के संबंध में विवाद की स्थिति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. हितग्राही के पंजीयन अभिलेख में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
5. आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से हितग्राही/नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी।


(झ) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :-

योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

(ट) योजना का प्रभावशीलन

यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(डॉ. रेणुका श्रीवास्तव) 09/06/2020  
उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांक क्रमांक एफ 10-4/2010/16 :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर, .....(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय .....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय .....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

निरंतर.....4.....

13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।

  
उप सचिव, - -

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

**छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**  
पी-3 सी, 244,245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर  
अधिसूचना

दिनांक 31/01/2017

क्रमांक.....48..... भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना " में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :-

विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना होगा।
- (ii) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समान रूप से रूपये 25,000/- अनुग्रह राशि तथा रूपये 5,000 अंत्येष्टि सहायता राशि का भुगतान एक मुश्त प्रदाय किया जावेगा।
- (iii) सामान्य दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।
- (iv) दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1,00,000/-रु० अनुग्रह राशि एवं रूपये 5000 अंत्येष्टि सहायता राशि एक मुश्त भुगतान किया जावेगा तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000/-रु० की राशि स्वीकृत की जावेगी। इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना स्थल पर कार्य की पर्याप्त जांच तथा अपंगता का स्पष्ट प्रमाण लिया जावेगा।
- (v) हितग्राही के गृह से काम पर जाने, कार्य अवधि तथा कार्य स्थल से गृह वापसी तक हुये दुर्घटना को ही योजना के तहत दुर्घटना माना जावेगा।



(vi) योजना का लाभ अपंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु होने अथवा स्थायी अपंगता होने पर निर्माण श्रमिक के रूप में पुष्टि पश्चात् कंडिका (iv) की राशि प्रदाय की जावेगी ।

(vi) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा ।

**(ब) योजना हेतु पात्रता :-**

(i) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे ।

(ii) निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए ।

(iii) अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रवों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने की उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक-दूसरे से हुई मार-पीट से हुई मृत्यु की स्थिति में प्रदान नहीं की जावेगी ।

(iv) योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर नहीं ।

**(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

(i) योजना का आवेदन सामान्य मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु/स्थायी अपंगता होने पर मृत्यु/दुर्घटना दिनांक से एक वर्ष तक स्वीकृत किया जावेगा ।

(ii) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाइस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारित के श्रम कार्यालय में समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न कर अनिवार्य होगा ।

(iv) योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 30 कार्यदिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(v) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, बैंक पासबुक, नामिनी का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

- (vi) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा
- (vii) सामान्य मृत्यु में मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (viii) दुर्घटना मृत्यु होने पर एफ आई आर की प्रति, पीएम रिपोर्ट की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (ix) स्थायी अपंगता होने पर एफ आई आर की प्रति, डाक्टर से अपंगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

**(द) स्वीकृति का अधिकार :-**

- (i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षको द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी ।

**(ई) भुगतान की प्रक्रिया :-**

- (i) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा उक्त स्वीकृत अनुग्रह राशि हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी (नामित व्यक्ति)को प्रदान की जावेगी। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके माता/पिता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सबके नही होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा, को राशि का भुगतान किया जावेगा।
- (ii) हितग्राही के ऑन लाईन इन्द्राज में यदि किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख न हो तो हितग्राही के बैंक पासबुक में उल्लेखित नामिनी को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा ।
- (iii) योजना की स्वीकृति पश्चात् राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नामिनी के खाते में स्थानांतरित की जावेगी ।

(फ) अन्य विवरण :-

- (i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / / 2156-2164  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 31/02/17

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
- 2 निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
- 3 श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
- 4 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
- 5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
- 6 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
- 7 सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी .....(छ0ग0)
- 8 उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....(छ0ग0)
- 9 उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल

**छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**  
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर  
अधिसूचना

दिनांक... 01/06/2013

क्रमांक 30 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" के अधिसूचना क्रमांक 14, रायपुर दिनांक 27-11-2012 विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतःस्थापित करती है-

विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना-

(अ) योजना के प्रावधान-

(viii) अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर रुपये 50,000/- तथा दुर्घटना से स्थाई अपंगता की स्थिति में रुपये 37,500/- की राशि स्वीकृत की जावेगी।

यह अधिसूचना दिनांक 04-03-2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 03/06/13

पृष्ठांकन क्र 0 / / 583-595

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला ..... (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)

10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी ..... (छ0ग0)  
11. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....  
(छ0ग0)  
12. आयुक्त, नगर निगम ....., मुख्य नगर पालिका अधिकारी.....  
.....एवं कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .....
13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर  
लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजसूत्र में प्रकाशन उपरान्त  
इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल  
माता गैरेज के पीछे, जयभोले कामलेक्स के सामने, पंढरी रायपुर  
अधिसूचना

दिनांक 27/04/2013

क्रमांक 26 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1998" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक 10-4/2010/16 दिनांक 04.03.2010 विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :-

1.- विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना

(द) भुगतान की प्रक्रिया:-

- (i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रुपये 5,000/- अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर नगद दी जावेगी ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमती सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण, मण्डल

रायपुर, दिनांक 27/04/2013

पृष्ठांकन क्र0 / / 193-201

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रम सचिव, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त कार्यालय के उपश्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....  
(छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.....  
(छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां मण्डल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण  
कर्मकार कल्याण, मण्डल

छत्तीसगढ़ शासन  
श्रम विभाग  
दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय  
// अधिसूचना //

24/01/2013  
रायपुर दिनांक // /2013

क्रमांक.....24/.....भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर दिनांक 04.03.2010 एवं 04.06.2011 में हितग्राहियों के लिए विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना तथा सामूहिक विवाह योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करती है :-

विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना :-

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

(iii) दुर्घटना में मृत्यु होने पर, ऐसे आवेदन विशेष प्रकरण मानते हुए मृत्यु के एक वर्ष तक स्वीकृत किया जावेगा ।

सामूहिक विवाह योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना के अंतर्गत रूपये 15000/- प्रति विवाह सहायता एवं इसके अतिरिक्त रूपये 2,000/- सामूहिक विवाह के आयोजकों को प्रति विवाह अलग से देय होगी ।

(ii) वर्तमान में योजना के तहत प्रस्तावित विवाह की तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है में आंशिक संशोधन करते हुए विवाह के एक माह बाद तक आवेदन मान्य होगा ।

(iii) विवाह के पूर्व प्रस्तुत आवेदन में पंजीकृत श्रमिक तथा उसके विवाह

//2//

पुत्री का फोटो सहित शपथपत्र एवं विवाह के बाद प्रस्तुत आवेदन  
मे वर वधु का फोटो सहित शपथ पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया  
जायेगा।

(सविता मिश्रा)

सचिव,

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22/01/13

/ 6427 - 6482

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)  
निज सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर  
(छ0ग0)  
श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर  
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)  
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)  
श्रमायुक्त कार्यालय के उपश्रमायुक्त रायपुर (छ0ग0)  
सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी .....(छ0ग0)  
उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....(छ0ग0)  
उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है,  
कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां  
विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव,

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

--00--

रायपुर, दिनांक: ०५/०३/२०१२

क्रमांक एफ १०-४/२०१०/१६:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन), नियम २००८ के नियम २७७ तथा २७९ में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना क्रमांक एफ १०-४/२०१०/१६, रायपुर दिनांक ०४.०३.२०१० में हितग्राहियों के लिए विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:-

विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना:-

(द) स्वीकृति का अधिकार:-

- (i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रूपये ५,०००/-अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर नगद दिए जाने का अधिकार होगा।
- (ii) संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुग्रह राशि हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए गए आवेदन की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव के स्थान पर श्रम विभाग के समस्त मैदानी कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(के.डी. कुंजाम)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,  
निरंतर.. / 2 /

- 1 विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0).
- 2 निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0),
- 3 श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर(छ0ग0),
- 4 अध्यक्ष, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर, (छ0ग0),
- 5 अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
- 6 सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
- 7 सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ0ग0),
- 8 उपसंचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....  
(छ0ग0),
- 9 उपसंचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,  
25-2-12